

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

1

प्रेस-नोट

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय हेतु पदों के पुनर्गठन- मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत 82 पदों में से 26 पद तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत 31 पदों अर्थात् कुल 57 पदों को प्रत्यर्पित, 01 पद उद्योग विभाग को वापस करते हुए मुख्यालय स्तर पर 106 पदों को चिन्हित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस पुनर्गठन से निदेशालय के नये लक्ष्य के अनुरूप कार्यों का बेहतर सम्पादन, सुगम कार्य प्रवाह, त्वरित निर्णय एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

27/7/20

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

2

प्रेस नोट

पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत कुल 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है। इससे पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य यथा उत्खनन, अन्वेषण, सर्वेक्षण, संरक्षण/सौंदर्यीकरण/जीर्णोद्धार, संवर्धन एवं अन्य कार्यों के कुशलता पूर्वक प्रबंधन एवं संचालन किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

3

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

संचिका संख्या-4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)

प्रेस नोट

भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत सर्वेक्षित पाण्डुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से सर्वेक्षित पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित रह सकेंगी एवं इस अमूल्य धरोहर से शोधार्थियों/विद्यार्थियों, आम नागरिक एवं आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित हो सकेंगे।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
खेल विभाग
॥ प्रेस नोट ॥

4

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना
ज्ञापांक-मं0मं0-01 / मंत्रिपरिषद्-01 / 2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा नए
खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

बिहार राज्य में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रदर्शन
में सुधार तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के
उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में खेल
अकादमियों, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा खेल परिसरों की स्थापना के फलस्वरूप
खिलाड़ियों की संख्या एवं सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्तमान समय में उच्च स्तरीय खेल प्रदर्शन केवल पारंपरिक प्रशिक्षण
तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल
चिकित्सा, पुनर्वास (Rehabilitation), पोषण, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा
प्रदर्शन विश्लेषण जैसी आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उक्त
परिप्रेक्ष्य में राज्य में "स्पोर्ट्स साइंस सेंटर" (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं
इन्जुरी सेंटर) का अधिष्ठापन किया जाना है।



(दीपक आनन्द),
सरकार के सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

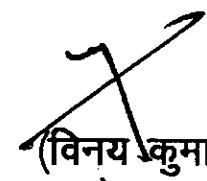
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

5

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) जमालपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 102,22,91,107 /- (एक सौ दो करोड़ बाईस लाख इक्यानवे हजार एक सौ सात रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जमालपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- जमालपुर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत 7,205 गृह जल संयोजन, 10.60 कि०मी० RAW Water राइजिंग मेन, 10.17 कि०मी० Clear Water राइजिंग मेन, 01 Clear Water Reservior (CWR) पम्प हाउस (कैम्पस सहित), 01 Pre-Settling Tank-cum-RAW Water Reservior, 04 नए जलमीनार का निर्माण (कैम्पस सहित), 17.49 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क एवं अन्य कार्य किया जायेगा, जिससे जमालपुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।


(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

6

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) हेतु लागत राशि रु० 177,72,47,949/- (एक सौ सतहत्तर करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार नौ सौ उनचास रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य:- मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) अन्तर्गत 10,540 गृह जल संयोजन, SCADA System, मौजूदा 14 MLD के WTP का नवीनीकरण, मौजूदा 14 MLD के मौजूदा WTP हेतु Floating Jetty (10×8मी०) का निर्माण, 53 MLD के नए WTP का निर्माण, 53 MLD के नए WTP हेतु Floating Jetty (15×15मी०) का निर्माण, मौजूदा 3 जलमीनार के नवीकरण/जीर्णोद्धार (960-2700 KL), 06 नए जलमीनार का निर्माण (960-2700 KL), 5.61 कि०मी० (dia. 400 mm तथा 700 mm) Raw Water राइजिंग मेन, 11.398 कि०मी० (dia. 200-700mm) Clear Water राइजिंग मेन, 199.163 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क (dia. 110-600mm) एवं अन्य संबंधित कार्य। किया जायेगा, जिससे मुंगेर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।



(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2

प्रेस नोट

नवादा जिलान्तर्गत अंचल-रजौली, मौजा-रजौली, थाना सं०-184, खाता सं०-1603, खेसरा सं०-9112, रकवा-1.5 एकड़ एवं खेसरा सं०-9114, रकवा-42.48 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा-43.98 एकड़ अनावाद बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF) की स्थापना हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- जय सिंह

पदनाम :- सचिव

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट

एनडीपीएस0 अधिनियमों (NDPS Acts) के अंतर्गत वादों की सुनवाई हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त पूर्णियाँ, भागलपुर एवं गया जी न्यायमंडल में तीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 27 (सत्ताईस) विभिन्न पदों के सृजन किये जाने की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल रु0-1,59,85,080/- (एक करोड़ उनसठ लाख पचासी हजार अस्सी रुपये) मात्र का अनुमानित व्यय भारित होगा।

(बलराम दूबे)
29-03-20

सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथासंशोधित) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु न्यायमंडल पश्चिम चम्पारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बाँका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 (एक सौ इकहत्तर) विभिन्न पदों के सृजन किये जाने की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल रु०-10,12,38,840/- (दस करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र का अनुमानित व्यय भारित होगा।

(बलराम दूबे)
29-07-16

सरकार के सचिव, बिहार।

10

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा नियमावली, 2017 के तहत समाज कल्याण निदेशालय अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न प्रकार के गृहों यथा—पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान संचालित है जिनमें विधि—विवादित किशोरों को आवासित किया जाता है। विदित हो कि गृहों में आवासित किशोरों के बीच आपसी झगड़े की रोकथाम एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के दृष्टिकोण से किशोर न्याय नियमावली, 2017 के नियम 26 में आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा कर्मी रखे जाने का प्रावधान है।

समाज कल्याण निदेशालय अंतर्गत संचालित/निकट भविष्य में संचालित होने वाले 23 पर्यवेक्षण गृह (बालक), 01 पर्यवेक्षण गृह (बालिका), 01 विशेष गृह एवं 09 सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 330 गृह रक्षकों को रखे जाने एवं इसके निमित्त कुल रू0 14,53,35,960/- (चौदह करोड़ तिरपन लाख पैंतीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(एच0 आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

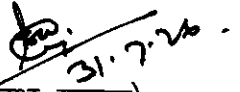
सं०सं०-16/सी.1-69/2018

11 61/70

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के द्रव्यगुण विभाग में दिनांक 10.01.1990 से 16.02.1990 तक प्रवाचक का 01(एक) पद एवं दिनांक 22.03.2011 से 30.06.2020 तक प्राध्यापक का 01 (एक) पद अर्थात् कुल 02(दो) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(शम्भू शरण)

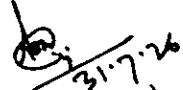
सरकार के अपर सचिव

सं०सं०-16/एम.1-103/2025

प्रेस नोटबिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या-4643-4645/2003 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा समादेश याचिका संख्या-14819/2023 में पारित न्यायादेशों के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 तक के वैध जी०ए०एम०एस० (ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) में उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री भी मान्य होगी एवं आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

साथ ही सक्षम प्राधिकार द्वारा, स्वीकृत पद के विरुद्ध विहित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एवं नियोजित संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट, अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी।


(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव


(13)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में राज्य सरकार और/अथवा ट्रस्ट अथवा सोसाईटी द्वारा स्थापित संस्थान, जिसमें चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली, दंत चिकित्सा, उपचर्या, विभिन्न पारा मेडिकल विधाएँ, यथा—चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक फिजियोथेरापी एवं आकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति एवं अंतर्विभागीय क्षेत्रों, यथा—लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र आदि संचालित है, को स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य प्रक्षेत्रों के पारंपरिक एवं नये क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु संबंधन करने एवं इसे सुगम बनाने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापित किया गया है।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों को क्रियाशील करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में कुल-92 पदों का सृजन किया जा चुका है।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक प्रयोजनार्थ कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त उप कुलसचिव का 01 (एक) पद, सहायक कुलसचिव का 02 (दो) पद, उप परीक्षा नियंत्रक का 01 (एक) पद तथा सहायक परीक्षा नियंत्रक का 02 (दो) पद अर्थात् कुल-06 (छः) पदों के सृजन की आवश्यकता है।

अतः बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त उप कुलसचिव का 01 (एक) पद, सहायक कुलसचिव का 02 (दो) पद, उप परीक्षा नियंत्रक का 01 (एक) पद तथा सहायक परीक्षा नियंत्रक का 02 (दो) पद अर्थात् कुल-06 (छः) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों एवं परीक्षा संबंधी कार्यों को तीव्र गति से सम्पादित किया जा सकेगा।



(मृणायक दास)

सरकार के अपर सचिव

996(1)
31.7.2026

14

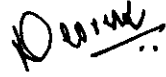
बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026 के तहत पर्यटकों के उड़ान को सम्पन्न कराने के निमित्त एक हेलिकॉप्टर की सेवा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 ज्ञ (त) के परिशिष्ट-16 की कंडिका- 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर प्रतिमाह ₹60,00,000/- (साठ लाख रुपये) एवं अनुमान्य जी0एस0टी0 की दर पर अधिप्राप्ति तथा निर्धारित अवधि में अधिकतम ₹3,30,00,000/- (तीन करोड़ तीस लाख रुपये) एवं अनुमान्य जी0एस0टी0 मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026 के प्रथम चरण को 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को वाल्मीकिनगर (पश्चिम चम्पारण), माँ मुण्डेश्वरी मंदिर (कैमूर) एवं राजगीर (नालन्दा) का हवाई भ्रमण तथा पटना शहर के स्काईलाइन के हवाई दृश्य के लिए हेलिकॉप्टर जॉय राइड कराया जाना है।

हेलीकॉप्टर सेवा की उपलब्धता से "मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना, 2026" के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न हवाई उड़ान कार्यक्रमों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन में आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी।

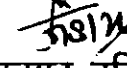

(डॉ० निलेश रामचन्द्र देवरे)
सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

सात निश्चय-3 (सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन) के अंतर्गत लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के तहत 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) को संचालित किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से Transaction Advisor के रूप में चयनित PricewaterhouseCoopers Private Limited (PWC) को LOA निर्गत करने तथा इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि रु0 8,27,00,300/—(रुपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख तीन सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

इससे स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी एवं इसके तहत राज्य के 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) को लोक-निजी भागीदारी के तहत संचालित किया जाता है।


(कुमार रवि)
सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल-पीपराकोठी, मौजा-पीपराकोठी, थाना सं०-210, खाता सं०-03, खेसरा सं०-317/3 की कुल प्रस्तावित रकबा-05 एकड़ बिहार सरकार की भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-



जय सिंह

सचिव

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

12 69

प्रेस नोट

“हर घर तिरंगा अभियान 2026” के तहत वंदे मातरम् थीम पर आधारित देशभक्ति तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा एवं वंदे मातरम् पर प्रदर्शनी, तिरंगा रैली/यात्रा, “सेल्फी विद तिरंगा” अभियान, तिरंगा थीम पर आधारित प्रकाश सज्जा तथा वंदे मातरम् थीम पर आधारित तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीत, वंदे मातरम् का सामूहिक गायन, सरकारी भवनों का त्रिवर्णीय प्रकाशांकन, जनजागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु ₹ 6,12,00,000/- (छः करोड़ बारह लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

12/1